पटना में दिनांक—25 जुलाई, 2016 सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

5.	वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्य बल (STF) में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों की निर्धारित 4 (चार) वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाकर सामान्य परिस्थिति में 7 (सात वर्ष) तथा विशेष कौशल (यथा—आसूचना संग्रह/प्रशिक्षण/ वाहन परिचालन इत्यादि) प्राप्त पुलिस कर्मियों के लिए 10 वर्ष करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6.	श्रीमती शकुंतला, तत्कालीन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी मोहनिया कैमूर सम्प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी, सिवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर वृहद दंड सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal) के प्रस्ताव पर स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	नालंदा जिलान्तर्गत सरमेरा अंचल के मौजा—केनार, थाना सं०—70, खाता सं०—486, खेसरा सं०—1967, रकबा—0.67 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म गड्ढ़ा भूमि, जिसका वर्त्तमान में स्वरूप परिवर्त्तित होकर समतल हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 6000/— रू० प्रति डिसमिल के दर से 4,02,000/— रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 20,100/— रू० का 25 गुणा अर्थात 5,02,500/— रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल—9,04,500/— (नौ लाख चार हजार पांच सौ) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

8.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण—पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित (एम०एस०डी०पी० योजना से निर्मित छात्रावास सहित) तथा भविष्य में निर्माण होनेवाले छात्रावासों का नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन को सौंपे जाने की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. श्री आनन्द स्वरूप (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक–491/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4295 दिनांक–18.03.2016 के द्वारा निर्गत दंड "सेवा से बर्खास्तगी एवं निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने" को पूर्ववत् बरकरार रखने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन के तहत 17 वन प्रमंडलों के सामान्य पथ तटों एवं 24 वन प्रमंडलों के विभिन्न जिला एवं अनुमंडलों के आगम – निर्गम पथ तटों तथा पूर्णियाँ वन प्रमंडल के 02 शहरी पथ तटों (शहरी वानिकी के तहत) पर वृक्षारोपण हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल ₹ 3127.88 लाख (एकतीस करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार ₹) के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 1580.34 लाख (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना मद में कुल 123.77 लाख रूपये की स्वीकृति तथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के अन्तर्गत विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजनाओं यथा सोन, उत्तर कोयल, गण्डक, कोशी, किउल, बदुआ, चान्दन एवं दुर्गावती के कार्यान्वयन हेतु सृजित स्थापना एवं कार्य मदों में क्रमशः 4995.00 लाख रूपये एवं 5250.00 लाख रूपये सहाय्य अनुदान की स्वीकृति अर्थात कुल 10368.77 लाख रूपये (एक अरब तीन करोड़ अड़सठ लाख सतहत्तर हजार रूपये) की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. श्री विनोद कुमार विमल, तत्कालीन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी दलसिंहसराय समस्तीपुर सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर वृहद दंड सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal) के प्रस्ताव पर स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये कुल ₹ 34084.68 लाख (तीन अरब चालीस करोड़ चौरासी लाख अड़सठ हजार रू०) की व्यय की स्वीकृति तथा तत्काल उपलब्ध राशि ₹ 10000.00 लाख (एक अरब) रूपये की निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति। — 15. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर अंचल के मौजा–बनियाँ के थाना सं०–834, खाता सं०–571 के विभिन्न खेसरा की कुल–2.3571 हेक्टेयर (582.43 डिसमिल) (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०–02 (औरंगाबाद से बरवाअड्डा तक) को छः लेन में परिवर्त्तन करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) को "As is Where is" के आधार पर निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**